



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GC 717685



न्यासपत्र

हम कि राकेश कुमार मल्ल पुत्र श्यामाचरण मल्ल निवासी ग्राम- लक्ष्मीपुर, पोस्ट- झंगहा, तहसील- सदर, जिला- गोरखपुर, 273202 उ0प्र0 का हूं। हम मुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करते रहते है तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख-शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्वास सदाचार, शिक्षा स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के हर व्यक्ति को शुद्ध, सात्विक व स्वास्थ्यवर्धक आहार उपलब्ध हो व साथ ही साथ गौ माता का संवर्धन हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाईचारा, साम्प्रदायिक ताल-मेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद जाति-पाति, छुआ-छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊंचनीच की भावना कहीं

Rashmal



पं. 6
पं. 3
पं. 2
पं. 1

6
11/10/2022
(100)

रा. के. रा. कु. म. म. 310 22/11/2022 म. म. 21/0 07/2022
पं. 310 रा. के. रा. कु. म. म. 310

21/10/2022
राम बहादुर पाण्डेय
स्वामी विद्यानाथ
कलेक्टरी कचहरी गोरखपुर
UC NO-29



म. म. 310



म. म. 310



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GC 717686

से भी बाधक न हो। जनहित के उक्त कार्यो को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिये विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिये हम मुक्तिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुक्तिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिये तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत रूपया 11,000/- (ग्यारह हजार) का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-अचल सम्पत्ति की हम व्यवस्था करते रहेंगे। हम मुक्तिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यासपत्र को भी निष्पादित कर रहे हैं, जिसकी व्यवस्था निम्नरूपेण की जायेगी-

1. यहकि हम मुक्तिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम "श्यामा चरण गिरिजा देवी जन सेवा ट्रस्ट" होगा, जिसे इस न्यासपत्र में आगे न्यास या ट्रस्ट के नाम से जाना जाएगा।
2. यहकि उक्त ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय ग्राम- लक्ष्मीपुर, पोस्ट- झंगहा, जिला-गोरखपुर 2090 में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र समस्त भारत होगा।

Bestmal



7
11/10/2022
1000

सुर. 6

24/10/2022
राम बहादुर पाण्डेय
स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्री कचहरी गारखपुर
LIC NO - 29



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GC 717687

3. यहकि हम मुकिर ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करते हैं। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का ट्रस्टी कहा जायेगा, जिसकी कुल संख्या 3 से कम तथा 11 से अधिक नहीं होगी। ट्रस्टी का पद किसी भी दशा में लाभ का नहीं होगा और न ही इस पर किसी प्रकार का वाद-विवाद किया जायेगा। भविष्य में हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों को भी नामित किया जा सकेगा। हम मुकिर द्वारा नामित ट्रस्टीगण तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है:-

Best mall





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GC 717696

1. श्यामा चरण मल्ल पुत्र स्व० बंश बहादुर निवासी ग्राम— लक्ष्मीपुर, पोस्ट— झंगहा, तहसील— सदर, जिला— गोरखपुर, 273202 उ०प्र०
2. श्रीमती गिरिजा देवी पत्नी श्यामा चरण मल्ल निवासिनी ग्राम— लक्ष्मीपुर, पोस्ट— झंगहा, तहसील— सदर, जिला— गोरखपुर, 273202 उ०प्र०
3. अश्वनी मल्ल पुत्र श्यामा चरण मल्ल निवासी ग्राम— लक्ष्मीपुर, पोस्ट— झंगहा, तहसील— सदर, जिला— गोरखपुर, 273202 उ०प्र०
4. श्रीमती रुपा सिंह पत्नी अश्वनी मल्ल निवासिनी ग्राम— लक्ष्मीपुर, पोस्ट— झंगहा, तहसील— सदर, जिला— गोरखपुर, 273202 उ०प्र०
5. श्रीमती विनीता कुमारी गुप्ता पत्नी राकेश कुमार मल्ल निवासिनी— सेक्टर— 4 अजादनगर, महानगर पब्लिक विद्यालय, गोरखपुर, 273015 उ०प्र०
6. यहकि हम मुकिर द्वारा "श्यामा चरण गिरिजा देवी जन सेवा ट्रस्ट" के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है, उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:-

Don't mall

7

12/10/2022

100

राजेश कुमार (सर्वोपस्थित) द्वारा मा. च. 100/100/22

राजेश कुमार को साक्षात् गोरखा

श्री 100/100/22
राम बहादुर पाण्डेय
स्वामी विजय
कलेवरी गंगहरी गोरखपुर
LIC NO 29



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GC 717689

1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना। शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
2. नवयुवक, नवयुवतियों व छात्र-छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
3. वर्तमान समय में विज्ञान के जीवन में आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञाशुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध करना।

(Signature)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GC 717690

4. समाज के सामुदायिक विकास, परस्पर भाईचारा, साम्प्रदायिक तालमेल, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा, प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा, प्रकृति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिये युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना। लिंगभेद, जाति-पाति, छुआछूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊंच-नीच की भावना को समाप्त करने के लिये प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्वे/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।
5. शिक्षा प्रचार/प्रसार उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/तकनीकी, गैर तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा/शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना। समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुये किड केयर, नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउन्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।
6. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं में कमजोर विद्यार्थियों के लिये अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे-मेडिकल, इजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिये कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था तथा उनसे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।

Best mall

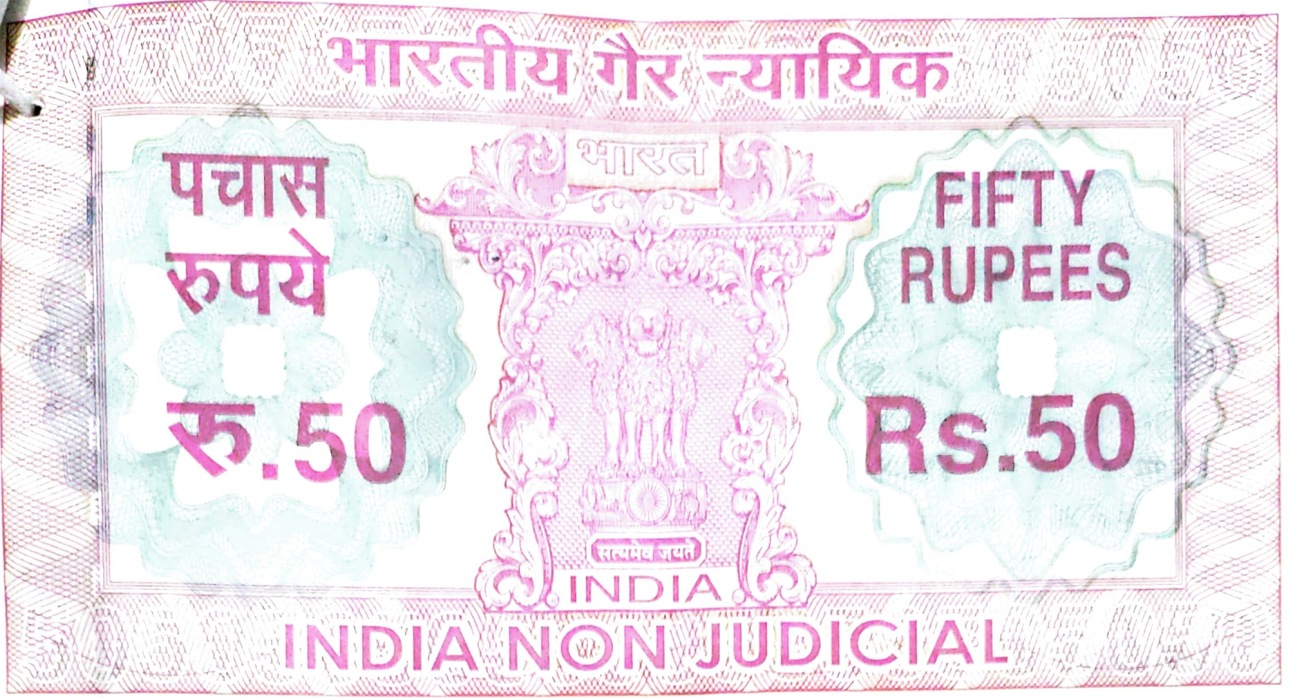


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GC 717691

7. संस्था के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में सीट पुरुषों द्वारा भरा जा सकता है।
8. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिये स्वरोजगार योजनाओं का प्रबन्ध करना तथा उनके लिये शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिये अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।
9. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे— सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियों एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाईपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाईन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग/बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिये प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

Handwritten signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CS 136686

10. खाद्य प्रसंस्करण जैसे- जैम, जेली, मुरब्बा, अचार, केचप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना। युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे-हैण्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेलकूद आदि का आयोजन प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।
11. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे- गूंगे, बहरे, अन्धों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, गरीब बच्चों निराश्रित अनाथ बच्चों एवं एवं युवाओं के लिए विद्यालय छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि। बिना लाभ-हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना आदि।
12. वृद्धों के लिये विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना, जिसमें मनोरंजन, पढ़ने, लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो। महिला संरक्षण गृह, विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता दिलाना।

West mall

13. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय एवं वाचनालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, छात्रावास, आंगनबाड़ी, बालबाड़ी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
14. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी-बूटी वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसिनल प्लाण्ट) सौन्दर्य उपयोग पौधों फलोरीकल्चर सुगन्ध हेतु अन्य पौधों या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना। सुरक्षा एवं संस्था की दृष्टिकोण से विलुप्त पौधों की खेती करना।
15. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुये उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जनसामान्य तक पहुंचाना।
16. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर, संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।
17. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि, मकान तथा वाहनों को खरीदना, बेचना, उन्हें किराये या लीज पर लेन-देन करना, मार्गेज करना या मकान बनवाना, बेचना आदि।
18. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे-यूनीसेफ, अई0सी0डी0एस0, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, युवा कल्याण, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
19. घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी, रोकथाम, टीकाकरण के लिये युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न कराना।



20. बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान मसाला, गांजा-भांग, स्मैक, शराब, एल0सी0डी0 या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगों को उनसे होने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिये नशामुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।
21. समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे अन्धविश्वास, बालविवाह दहेज प्रथा, बाल शोषण, बालश्रम, महिला शोषण, लिंगभेद, अस्पृश्यता, जाति-पाति एवं छुआ-छूत की भावना, स्वैच्छिक भावना के हास को दूर करना तथा इसके लिये जागरूकता, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
22. महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार या आक्रमण यौन प्रताड़ना, युवतियों की खरीद फरोख्त, पारिवारिक हिंसा, महिला अथवा विधवा उत्पीड़न आदि से मुक्ति दिलाना। इसके लिये युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना अथवा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।
23. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना, विभिन्न त्योहारों, जैसे-होली, दीवाली, दशहरा, मुहर्रम, ईद, बकरीद अथवा समारोह जैसे- शादी, गवना, सालगिरह एवं जन्मदिन पर होने वाले भोजन, धन तथा अनाज के अपव्यय की रोकथाम हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना।
24. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे- योगा, जिमनास्टिक, जूडो, कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारस्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना। इसके लिये संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिये प्रयास करना।
25. विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण पेयजल, स्वच्छता, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना जिसमें जागरूकता प्रशिक्षण/कैम्प सहायता एवं हैण्ड पाईप की व्यवस्था करना।
26. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता, प्रशिक्षण दवा, किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ-साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।



27. एड्स, कैंसर, टी0बी0, कोढ़, मलेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी, रोकथाम, नियन्त्रण, जागरूकता, उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जनसामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज, मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय, पैरा मेडिकल महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
28. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भिखारियों झुग्गी, झोपड़ी एवं मलीन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को आवास, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध करना।
29. सरकारी कार्यक्रमों जैसे—डूडा एवं सूडा को संचालित करना।
30. सरकार की सहायता से गावों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क, निर्माण, खड़न्जा, पिच, पार्क, शिविर एवं भवन, निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध करना।
31. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिये नये-नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये-नये शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दावा तथा सुरक्षा के लिये आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना। साथ ही साथ कृषि उत्पाद का उन्हें उचित मूल्य दिलाना, तिलहन, दलहन तथा कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार-प्रसार करना तथा स्थायी कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।
32. वर्मी, कम्पोस्ट एवं साग-सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाले हानि से लोगों को अवगत कराना।
33. बन्जर एवं ऊसर भूमि, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, वातावरणीय संरक्षण, जल एवं अन्य प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिये विभिन्न योजनाओं को लागू करना।
34. जल, वायु, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण की जानकारी/नियन्त्रण उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में युवाओं को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिये रचनात्मक दिशा में कारगर कदम उठाना।
35. प्राकृतिक आपदा जैसे— हैजा, प्लेग, भूखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, सुनामी, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गांवों, व्यक्तियों एवं पशुओं का

Best mall



सर्वेक्षण एवं पहचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। ऐसी दशा में लोगों को बचाव एवं भावी रणनीति के लिये सहयोग, जागरूकता तथा प्रशिक्षित करना है। इसके लिए लोगों संस्था तथा कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है। इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल है।

36. लावारिस, असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेषकर कुत्तों एवं गायों की देखभाल के साथ-साथ समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण, निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना, पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था करना प्रतिबन्धित पशुओं के अवैध हत्या को रोकना, पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिये पशु मेले का आयोजन करना।
37. तत्काल सुविधा पहुंचाने हेतु सड़क, ट्रेन, बस, दुर्घटना, जख्मी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुंचाने के लिये अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाइल इमरजेन्सी एम्बुलेन्स/वैन की व्यवस्था करना।
38. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।
39. पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिये काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना व प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता की जा सके। गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्कीय सुविधा अथवा सहायता के लिये उपाय करना।
40. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।
41. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सर्वे कार्य, डाटा, कलेक्शन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य दृश्य कैसेट, कठपुतली, सामग्री, डाक्यूमेन्ट्री एवं नुक्कड़ नाटक किट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त होता हो, जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

West mall



42. किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी तन्त्र अथवा एन0जी0ओ0 एसोसिएशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना उनके क्रियाकलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस संस्था से मिलते हों।
43. सरकारी तथा गैर सरकारी, लोगों, संस्थाओं, तंत्रों, कम्पनी, दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रांट, गिफ्ट चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित है।
44. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुंचाना।
45. संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इसके शाखा या इसके क्रियाकलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।
46. सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।

5- ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- (क) समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
- (ख) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाइयों को सुचारु व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।
- (ग) ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारु रूप से संचालन के लिये समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उपनियमों को बनाना।
- (घ) ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों के सदस्यता के लिए विभिन्न प्राविधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चंदा इत्यादि प्राप्त करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाइयां गठित करना।
- (ङ) ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।
- (च) ट्रस्ट के सम्पत्ति की देखभाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।

Dev Mall


(छ) ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने पर अथवा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के वास्तविक गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना तथा समाज को विकसित करने के लिये विभिन्न प्रकार के आयोजन करना।

(ज) ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौशालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारी की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारी के लिए आचरण व व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।

(झ) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य स्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

(ट) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यों को करना।

(ठ) ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक, तकनीकी, गैर तकनीकी विद्यालयों, महाविद्यालयों व इन्स्टीच्यूट की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी, परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर समस्त आवश्यक कार्य करना।

6. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था—

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा—

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये हर क्रियाकलाप का संचालन मुख्य रूप से मुख्य ट्रस्टी द्वारा संचालित किया जायेगा।
2. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हम मुक़िर होंगे और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। मुख्य ट्रस्टी का यह अधिकार उसके द्वारा वसीयत के माध्यम से अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबन्धित नहीं करेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाय तो ट्रस्ट के शेष ट्रस्टियों में से, मुख्य ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से, किसी योग्य व्यक्ति को बहुमत के आधार पर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी चयनित करने का अधिकार होगा।
3. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा नामित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।
4. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा।

Desmal



ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्हीं परिस्थिति में किया जाना असम्भव हो तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्यट्रस्टी की देखरेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्यट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।

5. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्यागपत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में रिक्ति की पूर्ति मुख्य न्यासी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।

7- ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था:

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन:-

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा:-

अ. हम मुकिर ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी के रूप में ट्रस्ट के प्रबन्धक होंगे, ट्रस्ट के समस्त प्रबन्धन का कार्य मुख्य ट्रस्टी द्वारा किया जायेगा।

ब. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा नामित ट्रस्टी मुख्यट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।

स. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उसे सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उसके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं ट्रस्ट के हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल में ट्रस्टी/पदाधिकारी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्य/ट्रस्टी के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

र. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों आदि के संचालन के लिए नियुक्त कर्मचारी नियमानुसार सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों आदि के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

ल. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

व. ट्रस्ट से सम्बन्धित कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी या ट्रस्ट मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि द्वारा किये गये खर्चे व उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यय राशि से सम्बन्धित बिलों

Best mall



व बाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन—

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव, प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दे दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक में अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।
2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया-कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

8- मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य—

1. इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के रूप में कार्य करना तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
2. ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
3. ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
4. ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।
5. ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय-व्यय का हिसाब-किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।
6. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
7. ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरुद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।



8. इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट के मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।
9. ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
10. ट्रस्ट के आय-व्यय की रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
11. ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धित अभिलेखों का सुचारु रूप से रख-रखाव करना।

9- ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था-

ट्रस्ट के कोष के सुचारु रूप से रख-रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत बैंक या मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक या सहकारी बैंक या अनुसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां एवं ऋण राशियां निहित होगी। ट्रस्ट के नाम से खोले गये खाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

10- ट्रस्ट के अभिलेख-

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखों का रजिस्टर इत्यादि रजिस्टर रखा जायेगा।

11- ट्रस्ट के नियमों में संशोधन-

मुख्य ट्रस्टी द्वारा बहुमत के आधार पर ट्रस्ट की मूल भावना को बिना प्रभावित किये समयानुसार अति आवश्यक होने पर ही उद्देश्य की पूर्ति हेतु संशोधन एवं नियमों में परिवर्तन तथा शिथिलता किया जा सकता है।

12- ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था-

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी:-

1. यहकि ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की



आवेदन सं०: 202200950039953

न्यास पत्र

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 306

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 200

श्री राकेश कुमार मल्ल,
पुत्र श्री श्यामाचरण मल्ल
व्यवसाय : अन्य

निवासी: ग्राम- लक्ष्मीपुर, पोस्ट- झंगहा, गोरखपुर

Best mall



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 13/10/2022 एवं 02:15:11 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

27521

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

योगेन्द्र प्रताप सिंह
उप निबंधक : सदर प्रथम
गोरखपुर
13/10/2022

रजत श्रेष्ठ कनिष्ठ सहायक निबंधन
निबंधक लिपिक
13/10/2022

प्रिंट करें

ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्यट्रस्टी को अधिकार होगा कि हर प्रकार के दस्तावेजों को निष्पादित करे व ट्रस्ट के लिये दान, ऋण, सहायता आदि प्राप्त करे।

2. यहकि ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय करने व किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण करने का अधिकार मुख्यट्रस्टी को होगा और साथ ही साथ ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर देने या विक्रय करने का अधिकार भी मुख्यट्रस्टी को ही होगा।
3. यहकि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को प्राप्त होगा।
4. यहकि ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था या विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में मुख्यट्रस्टी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा, परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसके सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी।
5. ट्रस्ट के आय-व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्यट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।
6. यहकि ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्यट्रस्टी द्वारा अथवा मुख्यट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।
7. यहकि ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी मुख्यट्रस्टी के अधीन होगा। ट्रस्ट की सम्पत्तियों के प्रबन्धन एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों को नियुक्ति करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा।
8. यहकि मुख्य ट्रस्टी, ट्रस्ट के लिए वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिए आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।
9. यहकि ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी, उसके बावत भी यही शर्त लागू होगी।

Best mall



आवेदन सं०: 202200950039953

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 306

वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री राकेश कुमार मल्ल, पुत्र श्री श्यामाचरण मल्ल

निवासी: ग्राम- लक्ष्मीपुर, पोस्ट- झांगहा, गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य

Shyam



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री मनीष कुमार पाण्डेय, पुत्र श्री सुमंत पाण्डेय

निवासी: बतरौली बाजार, कल्याण छपर, कुशीनगर, उ०प्र०- 274303

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

मनीष कुमार



श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय, पुत्र श्री दामोदर पाण्डेय

निवासी: पकडीयार बुजुर्ग, महाराजगंज, उ०प्र०- 273303

व्यवसाय: अन्य

प्रमोद पाण्डेय



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं

।

टिप्पणी:

योगेन्द्र प्रताप सिंह

उप निबंधक - सदर प्रथम

गोरखपुर

13/10/2022

रजत श्रेष्ठ कमिश्नर निबंधन

निबंधक लिपिक गोरखपुर

13/10/2022

प्रिंट करें

घोषणा

"श्यामा चरण गिरिजा देवी जन सेवा ट्रस्ट" की तरफ से हम राकेश कुमार मल्ल मुख्य ट्रस्टी के रूप में यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़ व समझकर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच, समझकर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस ट्रस्ट का विधिवत गठन हो सके।

हस्ताक्षर साक्षीगण

हस्ताक्षर मुख्य ट्रस्टी

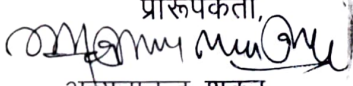


साक्षी मनीष कुमार पाण्डेय

मनीष कुमार पाण्डेय पुत्र सुमंत पाण्डेय
निवासी पोस्ट- बतरौली बाजार, कल्याण छापर
कुशीनगर, उ०प्र०- 274302

साक्षी प्रमोद कुमार पाण्डेय

प्रमोद कुमार पाण्डेय पुत्र दामोदर पाण्डेय
निवासी- पकडीयार बुजुर्ग, महाराजगंज, उ०प्र०- 273303

प्रारूपकर्ता,

अच्युतानन्द शुक्ल
एडवोकेट
दिनांक 12/10/2022

आवेदन सं०: 202200950039953

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 319 के पृष्ठ 241 से 278 तक क्रमांक 306 पर दिनांक
13/10/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

योगेन्द्र प्रताप सिंह
उप निबंधक : सदर प्रथम
गोरखपुर
13/10/2022

प्रिंट करें